न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– आशाराम डूडी आर.ए.एस.

अपील संख्या 2006/00103 (07/2006) 223 आरटीएक्ट

1. मलसिह पुत्र मनीसिंह जाति जटसिख, निवासी लम्बी ढाब तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
   1/1 हरदीप कौर पत्नी मलसिह
   1/2 स्वर्णसिह पुत्र मलसिह
   1/3 जगसीरसिह पुत्र मलसिंह
   } जाति जटसिखं निवासी लम्बीढाब तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
2. जगरसिह
3. गुरदेवसिंह
   } पिसरान गनीसिंह जाति हटसिख निवासी लम्बीढाब तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ। –अपीलाण्ट

बनाम

1. गुरचरणसिंह पुत्र निरंजन सिह
2. बलवन्तसिहपुत्र निरंजन सिंह
3. परमजीत कौर धर्मपत्नी मलकीतसिह
4. तरसेमसिंह पुत्र मलकीतसिह
5. गुरदेवसिह पुत्र नारायण सिह

   } जाति जटसिख निवासी लम्बीढाब संगरिया जिला हनुमानगढ।

6. सरजीत कौर पत्नी मुकन्द सिह
7. हरचरण सिह पुत्र मुकन्दसिंह
8. जवाहरसिंह पुत्र मुकन्द सिह

   } जाति जटसिख निवासी वार्ड नं. 4 मीरां कालेज के पास संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।

9. जगदेव सिह पुत्र. चन्द सिंह
10. सरदूल सिह पुत्र चन्द सिह
11. गमदूर सिंह पुत्र चन्द सिह
12. सेवक सिह पुत्र चन्द सिंह
13. रघुवीर सिह पुत्र चन्द सिह
14. सरजीत कौर बेवा अजमेर सिह
15. मनप्रीत सिह पुत्र अजमेर सिह
16. अमरजीत सिह पुत्र कर्म सिंह
17. परमजीत सिह पुत्र कर्म सिह
18. बलजीत सिह पुत्र कर्म सिह
19. कौर सिंह पुत्र कर्म सिंह
20. बलजीत कौर पत्नी कर्म सिह
21. प्रीतम सिंह पुत्र पिसरान गुजर सिह
22. जगराज सिह पिसरान गुजर सिह
23. बूटा सिंह पुत्र गुरनाम सिंह
24. अनूप सिह पुत्र गुरनाम सिह

   } जाति जटसिख निवासी लम्बीढाब तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ

राजस्व अपील प्राधिकारी

25. सुखदेव सिह पुत्र गुरनाम सिह
26. हाकन सिह पुत्र ईशर सिंह
27. आत्मा सिह पुत्र ईशर सिंह
28. दर्शन सिंह पुत्र सरजीत सिह
29. जगदीप सिह पुत्र सरजीत सिह
30. तेज कौर पत्नी सरजीत सिंह
31. जसपाल कौर बेवा बाबू सिह
32. उदयपाल पुत्र बाबू सिंह
33. दीवान सिंह पुत्र बाबू सिंह
34. लाभ सिह पुत्र. बलवन्त सिंह
35. जवाहर सिंह पुत्र बलवन्त सिंह
36. गमदूर सिह पुत्र बलवनत सिह
37. प्रगट सिह पुत्र बलवनत सिह
38. अमृतपाल सिह पुत्र जसवन्त सिंह
39. बन्त कौर पत्नी जसवन्त सिंह
40. नाजर हसं पुत्र गुरमेल सिह

जाति जटसिख निवासी लम्बीढाब तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ

41. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया

विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.11.2005 द्वारा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया प्रकरण संख्या 94/2002 बअनवानी मलसिह आदि बनाम गुरचरण सिंह आदि

उपस्थित

श्री लालचन्द वर्मा अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री बलविन्द्र सिह अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं. 5

श्री खुशकरण सिह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 41

निर्णय . दिनांक 25.10.2019

1. अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष घोषणा, खाता विभाजन एव अस्थाई निषेधाज्ञा का वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रस्तुत किया। वादपत्र में चक 8 एएमपी जमाबंदी संवत 2055 खाता सं0 22/23 खाता गुरनामसिंह में खातेदार निरंजनसिह पुत्र अर्जन सिंह के हिस्सा की आराजी घरू विभाजन में दावा की दफा 3 (द) के मुताबिक अपने कब्जा काश्त में आना अंति करते हुए उसपर अपना कब्जा काश्त बताते हुए उक्त भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित करने, भूमि का खाता विभाजन करने एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का अनुतोष मांगा। प्रतिवादीगण की तरफ से कोई उपस्थित नहीं आया। विचारण न्यायालय ने वाद वादी साबित नहीं होने के कारण खारिज कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है।
2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि वाद की मद संख्या 3 (द) में वर्णित भूमि वादीगण एवं वादीगण के भाई मृतक नाजमसिंह के कब्जा काश्त में थी। इस भूमि में अन्य किसी का कब्जा काश्त नहीं था। दावा में वर्णित 1.569 है. आराजी निरंजनसिंह पुत्र अर्जन सिह को घरू बंटवारा में प्रापत हुई थीं उसका देहान्त हो चुका है। उसके विधिक वारिसान प्रतिवादी सं0 1 ता 4 हैं जिसपर वादीगण एवं वादीगण के भाई नाजम सिह ने करीब 40 वर्ष पूर्व जबरन कब्जा कर काश्त करनी प्रारम्भ की थी। वादी का भाई लाऔलाद फौत हो गया है। वादीगण ने अपने अथक प्रयासों से एवं कठिन परिश्रम से भूमि का सुधार किया है। पानी की पर्ची वादीगण के नाम से है। राज्य सरकार द्वारा किये जाने वाले समस्त खर्चे वादीगण द्वारा किया जा रहा है। 1987 से लेकर वाद दायरी की दिनांक तक कब्जा काश्त है। अड़ोसी पड़ोसी के बयान करवाये गये हैं विचारण न्यायाल ने बिना किसी खण्डनीय साक्ष्य के वाद अस्वीकार करने में विधिक भूल की हैं। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।
4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 5 ने विधि अनुसार निर्णय पारित करने का कथन किया।
5. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।
6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलाण्ट ने खातेदार निरंजन सिह पुत्र अर्जन सिंह के हिस्से की आराजी पर अपना 40 वर्ष का कब्जा काश्त होने का कथन किया हैं। प्रश्नगत भूमि पर 12 वर्ष से अधिक का कब्जा होने के कारण प्रतिकूल कब्जा के आधार पर अपने खातेदारी दर्ज करने का अनुतोष मांगा है। निरंजन सिंह फौत हो चुका है। उसके वारिस रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता 4 हैं। इनकी तरफ से अधिनस्थ न्यायालय में कोई उपस्थित नहीं आया न ही अपील में कोई उपस्थित आया है। अधिनस्थ न्यायालय में प्रतिवादीगण के उपस्थित नहीं आया वाद का कोई विरोध नहीं किया गया है। विचारण न्यायालय में अपीलाण्ट ने सिंचाई विभाग का मांगपत्र, सिंचाई शुल्क, फसल रबी 1992 से फसल खरीफ 2000 तक ई एक्स 7 ता 19 पेश किये हैं जो मात्र 8 वर्ष की अवधि के हैं। प्रतिकूल कब्जा के आधार के लिए सिंचाई विभाग के मांगपत्र कब्जा साबित करने के लिए उचित आधार नहीं है। वादीगण द्वारा प्रतिकूल कब्जा साबित करने के लिए राजस्व विभाग की फसल गिरदावरी प्रस्तुत करनी चाहिए थी जिससे उसका 12 वर्ष का अधिक का कब्जा काश्त साबित होता लेकिन अपीलाण्ट ने अधिनस्थ न्यायालय में ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया। अपील स्तर पर भी अपीलाण्ट ने ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। अपीलाण्ट/वादीगण ने कब्जे के सम्बन्ध में जुबानी साक्ष्य गवाह बिकरसिह व जसवीर के बयान कलमबद्ध करवाये हैं जिन्होंने ने अपीलाण्ट का 12 वर्ष से अधिक समय से अपीलाण्ट का कब्जा काश्त बताया है। ऐसा कोई रिकार्ड अपीलाण्ट ने प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह साबित हो कि बिकर सिह एवं जसवीर सिंह उसके खेत पड़ौसी हों। बिकरसिह एवं जसवीरसिह अपीलाण्ट के खेत पड़ौसी

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनमानगढ़

होना साबित नहीं है। विचारण न्यायालय ने उक्त आधारों पर वाद वादी साबित नहीं होना मानते हुए वाद खारिज किया है। हमारे समक्ष ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है जिसके आधार पर अधिनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जा सके। फलतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने योग्य है।

7. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं सहायक कलक्टर संगरिया का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.11.2005 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25.10.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(आशाराम डूडी आरएएस)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Asha Ram Dudi
Date: 2019.11.27 12:23:06 IST
Reason: SelfAttested
Location: